राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान
निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग, राज0 जयपुर

(जी.3, राजमहल रेजीडेंसी ऐरिया, सिविल लाईन फाटक, 22 गोदाम, सी–स्कीम जयपुर–302005)
टेलीफैक्स 0141–2222403, ईमेल–stp.lsg@rajasthan.gov.inवेब साईट www.lsg.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक :एफ.59 STP/DLB/मॉ.रा.भ.वि.–2020 (1205)/20/1379 दिनांक :–03.08.2021

आयुक्त,
नगर परिषद, जैसलमेर।

विषयः–जैसलमेर (नगरीय क्षेत्र) भवन विनियम–2020 लागू किये जाने बाबत्।
संदर्भः–नगरीय विकास विभाग के पत्रांक प.6( )नविवि/पुरातत्व सग्रहालय/2018, दिनांक 15.06.2021 के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र द्वारा जैसलमेर के नगरीय क्षेत्र में भवन निर्माण गतिविधियों को रेग्यूलेट किये जाने के संबंध में सक्षम स्तर से अनुमोदन उपरान्त नवीन भवन विनियम ''जैसलमेर (नगरीय क्षेत्र) भवन विनियम–2020 (प्रारूप)'' की प्रति सचिव, नगर विकास न्यास, जैसलमेर को प्रेषित कर न्यास के क्षेत्राधिकार में लागू किये जाने हेतु राजस्थान नगर सुधार अधिनियम–1959 की धारा 75 के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुए 15 दिवस की अवधि में नवीन भवन विनियम अधिसूचित कर लागू किये जाने बाबत् निर्देशित किया गया है।

अतः उपरोक्त के अनुसरण में ''जैसलमेर (नगरीय क्षेत्र) भवन विनियम–2020 (प्रारूप)'' की प्रति संलग्न कर लेख है कि उपरोक्त नवीन भवन विनियम को परिषद की साधारण सभा में रखकर अनुमोदन उपरान्त नगर परिषद क्षेत्राधिकार में लागू किया जाना सुनिश्चित करावें।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार

(दीपक नन्दी)
निदेशक एवं विशिष्ठ सचिव

क्रमांक :एफ.59 STP/DLB/मॉ.रा.भ.वि.–2020 (1205)/20/1380-85 दिनांक :–03.08.2021
प्रतिलिपित निम्न को सूचनार्थ :–

1. विशिष्ठ सचिव, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
4. क्षेत्रिय उपनिदेशक, निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग, जोधपुर को प्रेषित कर लेख है कि उपरोक्त की पालना सुनिश्चित करावें।
5. सिस्टम एनालिस्ट कम जोइन्ट डायरेक्टर, निदेशालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।
6. रक्षित पत्रावली।

3/8/21
(राजेश कुमार तुलारा)
अति. मुख्य नगर नियोजक